UPSB010023462026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
पीठासीन–राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस.UP1886

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1043/2026
प्रमोद यादव उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र कमला यादव, निवासी–ग्राम सरईगाढ़, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त **प्रमोद यादव** के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0के0 चौबे एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।
2. प्रार्थी **प्रमोद यादव,** मुकदमा अपराध संख्या–40/2026, अं.धारा–196(1), 353(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में अभियुक्त है।
3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि उसकी यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई भी जमानत याचिका किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल किया है, न ही लम्बित है या न ही विचाराधीन और न ही निस्तारित हुआ है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। यह कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक सरासर गलत एवं असत्य है। तत्पश्चात् यह कथन किया गया कि उसे मुकदमें में गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। कथित घटना दिनांक 17.03.2026 समय अदम तहरीर की कही जाती है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.03.2026 को समय 16.40 बजे दर्ज करायी गयी है विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया है। उपरोक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त बनाया गय है जबकि वास्तविक घटना यह है कि दिनांक 17.03.2026 को समय करीब 12.00 बजे दोपहर में वह खलियारी बाजार में सामान खरीदने आया था कि मुकदमा वादी भी खलियारी बाजार में आया था उसकी रिश्तेदारी मुकदमा वादी के गांव में है, जिससे मुकदमा वादी का जमीनी विवाद है जिस कारण कुछ वाद–विवाद हुआ था उसी का नाजायज फायदा उठाकर उसके विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज करा दिया गया है। वह एक गरीब एवं सामाजिक व्यक्ति है। वह निर्दोष है। वह अग्रिम जमानत से छूटने पर जमानत के शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।
4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।
5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा लक्षन देव खरवार पुत्र दुखन खरवार ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की तहरीर दिया कि वह इस समय भाजपा का नगवां मण्डल अध्यक्ष है। दिनांक 17.03.2026 को

.....2

अपने फेसबुक एकाउण्ट पर देखा तो प्रमोद यादव पुत्र कमला यादव, निवासी सरईगढ़, थाना रायपुर, सोनभद्र द्वारा अपने फेसबुक एकाउण्ट से लाइव आकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री व अन्य भाजपा के पदाधिकारियों को मां—बहन की गाली दी गयी, जिससे जनमानस में काफी आक्रोश है। इसके द्वारा किये गये कृत्य से सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है तथा जाति विशेष व समुदायों के बीच शत्रुता व दुर्भावना की भावना फैल रही है तथा आम लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना की गयी।

6. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार मुकदमा वादी दिनांक 17.03.2026 को अपने फेसबुक एकाउण्ट पर देखा तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने फेसबुक एकाउण्ट से लाइव आकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री व अन्य भाजपा के पदाधिकारियों को मां—बहन की गाली दी गयी, जिससे जनमानस में काफी आक्रोश है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। थाने द्वारा प्रार्थी का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जो निम्नवत है।

(i)अ0सं0—11/2021,धारा उ0प्र0गोवध निवारण अधि व पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधि0, थाना शाहगंज,जिला सोनभद्र

(ii)अ0सं0—75/2021,धारा उ.प्र.गिरोहबंद समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, थाना शाहगंज,जिला सोनभद्र

(iii)अ0सं0—78/2020,धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता थाना रायपुर, जिला सोनभद्र

(iv)अ0सं0—82/2020,धारा 504, 506 भारतीय दंड संहिता थाना रायपुर, जिला सोनभद्र

8. अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, अपराध कारित करने में प्रार्थी की भूमिका एवं थाने द्वारा प्रार्थी के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए गुण—दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं हैं। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी **प्रमोद यादव** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या—40/2026, अं.धारा—196(1), 353(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा—67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक—06.06.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र